भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 376
29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

मात्स्यिकी क्षेत्र हेतु कोविड राहत पैकेज

***376. एडवोकेट अदूर प्रकाश**:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मात्स्यिकी क्षेत्र हेतु घोषित किए गए कोविड राहत पैकेज के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार प्रदत्त एवं उपयोग में लाई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य में मछुआरों को इस पैकेज के भाग के रूप में कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी प्रसार के उपरांत देश का मत्स्यन क्षेत्र गहन संकट से जूझ रहा है; और

(ङ) क्या सरकार मछुआरों के रोजगार की हानि की स्थिति में मुआवजे के लिए किसी विशेष योजना पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

मात्स्यिकी क्षेत्र हेतु, राहत पैकेज के संबंध में एडवोकेट अदूर प्रकाश, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 29 मार्च, 2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 376 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से(ङ) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अबतक के सर्वाधिक निवेश से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत कोविड-19 राहत पैकेज के एक भाग के रूप में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना नामक एक प्रमुख योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसकी स्थापना के बाद से जारी और उपयोग की गई केंद्रीय धनराशि का राज्यवार -‍-विवरण अनुबंध। पर है। पीएमएमएसवाई *अन्य बातों के साथ) साथ*-i आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय-सामाजिक (पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए मत्स्यन पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है जिसके तहत ,प्रत्येक नामांकित लाभार्थी 1500 रुपये वार्षिक लाभार्थी अंशदान के साथ प्रति वर्ष 3000 /- रुपये की सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह,4500 /- रुपए की संचित राशि प्रत्येक नामांकित लाभार्थी को संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा/मत्स्यन पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान 1500/- प्रति माह की दर से एक वर्ष में तीन महीने के लिए वितरित की जाती है।)iiमछुआरों के लिए बी (मा कवरेज जिसमें)iआकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण (5 विकलांगता के लिए,00,000/- रु.,) iiस्थायी आंशिक विकलांगता (के लिए2 ,50,000/-रु. और)iii (दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती खर्चों के लिए 25,000/- रु. का बीमा कवरेज शामिल है।

विभाग ने देश में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण मात्स्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए राज्य सरकारों , /संघ राज्य क्षेत्रों) यूटीको लॉकडाउन के दौरान छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में मछली और झींगा को शामिल करने के (लिए सलाह जारी की थी तथा मछली और मछली उत्पादों की आवाजाहीमछुआरों के लिए मछली के / किसानों-मछली , जलीय कृषि फार्म और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे एक्वेरियम की दुकान आदि की ,बीज और मछली चारा भी अनुमति दी। इसके अलावा ,अप्रैल 10 गृह मंत्रालय द्वारा ,2020 को जारी दिशानिर्देशों- में मत्स्यन जलीय / (समुद्री) कृषि उद्योग का संचालन जिसमें फीडिंग और रखरखाव ,हार्वेस्टिंग ,फीड प्लांट ,हैचरी ,बिक्री और विपणन ,कोल्ड चेन ,पैकेजिंग ,प्रसंस्करण , चारा और श्रमिक शामिल / बीज ,झींगा और मछली उत्पादों की आवाजाही / मछली ,वाणिज्यिक एक्वेरियाहैं की भी लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुमति दी गई। इसके अलावा ,मछली उत्पादन और उत्पादकता में महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करते हुए ,पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार के बड़े अवसर पैदा करना है।

*****

अनुबंध -I

मात्स्यिकी क्षेत्र हेतु कोविड राहत पैकेज के संबंध में 29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए एडवोकेट अदूर प्रकाश, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *376 के उत्तर में उल्लिखित विवरणः *2020-21 से 2021-22 के दौरान पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई कुल केन्द्रीय निधियों का राज्य-वार विवरण*

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21		2021-22		पीएमएमएसवाई कुल (आज की तारीख में)	
		जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई राशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई राशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई राशि
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	अंडमान और निकोबार	200.00		509.30		709.30	0.00
2	आंध्र प्रदेश	5554.12	3656.70	10074.09		15628.21	3656.70
3	अरुणाचल प्रदेश	790.61		0.00		790.61	0.00
4	असम	2676.56	2300.00	5051.43		7727.99	2300.00
5	बिहार	2932.12	1422.67	1308.15		4240.27	1422.67
6	छत्तीसगढ	3606.74	3606.74	3296.56		6903.30	3606.74
7	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	178.90	0.00	7.20		186.10	0.00
8	गोवा	596.74	73.21	1645.85		2242.59	73.21
9	गुजरात	893.70	13.77	5054.85		5948.55	13.77
10	हरियाणा	953.94	799.71	1620.03		2573.97	799.71
1 1	हिमाचल प्रदेश	1467.28	304.52	111.07		1578.35	304.52
12	जम्मू और कश्मीर	4207.20	3828.14	1478.22		5685.42	3828.14
13	झारखंड	1618.56	301.08	1043.35		2661.91	301.08
14	कर्नाटक	6235.30	4948.48	9927.68	3650.00	16162.98	8598.48
15	केरल	800.00	800.00	7810.95		8610.95	800.00
16	लक्षद्वीप	1344.12		98.80		1442.92	0.00
17	मध्य प्रदेश	2379.16	2301.04	4880.00	2507.87	7259.16	4808.91
18	महाराष्ट्र	3657.42	625.00	3315.25		6972.67	625.00
19	मणिपुर	1097.97	1097.97	846.66		1944.63	1097.97
20	मेघालय	790.65	662.57	765.69		1556.34	662.57
21	मिजोरम	986.77	828.55	1202.35		2189.12	828.55
22	नागालैंड	807.07	807.07	1355.67		2162.74	807.07
23	एनसीटी दिल्ली	144.30	63.59	19.00		163.30	63.59
24	उड़ीसा	3995.82	3174.61	6671.47		10667.29	3174.61
25	पुदुचेरी	990.50	684.43	1515.38		2505.88	684.43
26	पंजाब	567.84		0.00		567.84	0.00
27	राजस्थान	210.82	9.25	175.65		386.47	9.25
28	सिक्किम	313.20		242.01		555.21	0.00
29	तमिलनाडु	1938.61		2642.45		4581.06	0.00
30	तेलंगाना	779.34	779.34	4128.03		4907.37	779.34
31	त्रिपुरा	737.01	562.43	1965.00		2702.01	562.43
32	उत्तर प्रदेश	7009.62	5218.54	6996.14	269.44	14005.76	5487.98
33	उत्तराखंड	912.61	911.54	1476.45		2389.06	911.54
34	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
35	लद्दाख	37.50	37.50	120.30		157.80	37.50
	कुल	**61412.10**	**39818.45**	**87355.03**	**6427.31**	**148767.13**	**46245.76**

*****